[2018] 9 एस. सी. आर. 338

सुरिंदर कुमार खन्ना

वी.

इन्टेलिजेन्स ऑफ़िसर डायरेक्टोरेट ऑफ़ रेवन्यू इन्टेलिजेन्स

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 949)

31 जुलाई, 2018

[अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 - एस. 21 आर/डब्ल्यू। एस. 29-इकबालिया बयान के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया जाना

सह-अभियुक्त स्वामित्व के बयानः कन्फेशनल

सह-अभियुक्त के बयान को अपने आप में किसी अन्य सह-अभियुक्त के खिलाफ सबूत के एक ठोस टुकड़े के रूप में नहीं लिया जा सकता है और इसका उपयोग या उपयोग न्यायालय को आश्वासन देने के लिए किया जा सकता है-वर्तमान मामले में, सह-अभियुक्त के बयानों के अलावा कोई सबूत नहीं है।

विचाराधीन अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता का सुझाव देने वाली सामग्री-किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को विशुद्ध रूप से सह-अभियुक्त के बयानों पर आधारित करना अनुचित होगा-अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेश-अपीलार्थी को बरी कर दिया गया-साक्ष्य अधिनियम, 1872 एस. 24 , 25 और 27-आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ अधिनियम, 1987। 15 .

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 आतंकवादी और विघटनकारी की धारा 15 के विपरीत

गतिविधि अधिनियम, 1987 जो विशेष रूप से सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति को कुछ घटनाओं में अन्य अभियुक्तों के खिलाफ स्वीकार्य बनाता है; एन. डी. पी. एस. अधिनियम में ऐसा कोई समान या समान प्रावधान नहीं है जो सह-अभियुक्त के खिलाफ इस तरह के स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य बनाता है। [पैरा 10] [344-डी-ई]

1.2 वर्तमान मामले में सह अभियुक्त के बयानों के अलावा इसमें शामिल होने का सुझाव देने वाली कोई सामग्री नहीं है। विचाराधीन अपराध में अपीलार्थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की कसौटी पर सह-अभियुक्त के इस तरह के इकबालिया बयान को अपने आप में एक ठोस अंश के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

338 याचिकाकर्ता का ठोस साक्ष्य देने के लिए एक अन्य सह के खिलाफ सुरेंद्र कुमार का निर्देश। अपीलार्थी पर हरि चरण कुर्मी और 1964] 6 एससीआर 623 कश्मीरा सिंह बनाम के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। राज्य 526 ने भरोसा किया। कन्हैयालाल बनाम। यूनियन 2008] 1 एससीआर 350; तोफान 2013) 16 एससीसी 31: [2013 . राजा (1949) 76 1999) 5 एससीसी 253: [मामला [2008] 1 एससीआर 350 [2013] 9 एससीआर 962 [1952] एससीआर 526 [1964] 6 एससीआर 623 [1999] 3 एससीआर 1 2018 का आपराधिक आवेदन। चंडीगढ़ में निर्णय और हरियाणा से जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, कृष्ण कांत

खन्ना बनाम। इन्टेलीजेंस ऑफिस रेवन्यू इन्टेलीजेंस अभियुक्त और न्यायालय को आश्वासन दिया जा सकता है। इसमें विशुद्ध रूप से उन बयानों पर अनुचित होगा जो इसलिए उनके होने के हकदार हैं। [पैरा 14] [347-एफ-एच; जोगिया हाजम बनाम। अनुसरण की स्थिति। भारत के मध्य प्रदेश [1952] (2008) 4 एस. सी. सी. सिंह बनाम। तमिल राज्य] 9 एससीआर 962; भुबोनी भारतीय अपील 147; राज्य बनाम। 1999] 3 एस. सी. आर. 1-पैरा को संदर्भित विधि संदर्भ, पैरा पर निर्भर, पैरा न्यायिकता को संदर्भित पैरा का पालन किया गयाः सी. आर. एल. में 21.12.2016 का आपराधिक आदेश। अपील

शुक्ला, अधिवक्ता। अपीलार्थी मनिंदर सिंह, एएसजी बजाज, संजय कुमार के लिए। सं. डी-798। , पहलाद सिंह शर्मा, सुश्री, रीजा वर्गीज, केतन पंत। , आर. बालासुब्रमण्यम, रोहित त्यागी, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता [2018] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था उदय उमेश ललित, जे. 1. अपील के लिए विशेष अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 2014 की आपराधिक अपील में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की शुद्धता को चुनौती देती है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को मादक पदार्थों की धारा 29 के साथ पठित धारा 21 (सी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया औरअप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'एन. डी. पी. सी. अधिनियम')।

अभियोजन पक्ष के अनुसारः

ए। एक विशिष्ट सूचना पर कि मादक पदार्थों को जम्मू की ओर से होशियारपुर होते हुए चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था।

अधीक्षक कार्यालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, मॉडल टाउन, होशियारपुर ले जाया गया। डी. आर. आई. के अधिकारियों ने राज कुमार उर्फ राजू और सुरिंदर को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस दिया। पाल सिंह।

बी। कथित संदिग्धों की इच्छा के अनुसार, स्वतंत्र गवाहों और वरिष्ठ खुफिया अधिकारी श्री एस. जे. एस. चुघ की उपस्थिति में उनकी और कार की व्यक्तिगत तलाशी ली गई। संदिग्धों की व्यक्तिगत तलाशी के परिणामस्वरूप कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। हालांकि, जब कार की तलाशी ली गई, तो कार के डिक्की के दरवाजे में पीले रंग के चिपकने वाले टेप से लिपटे चार पैकेट छिपे हुए पाए गए। उन चार पैकेटों का सकल वजन

4.300 किलोग्राम पर आया।

सी। उन पैकेटों में से प्रत्येक में सफेद रंग के दाने थे / पाउडर जो बहुत तीखी गंध देता था। प्रत्येक पैकेट की चुटकी का परीक्षण किया गया, जिसमें हेरोइन की उपस्थिति दिखाई दी। बरामद हेरोइन का वजन 3.990 किलोग्राम था जिसका मूल्य Rs.19,95,000/- था। उन चार पैकेटों को कब्जे में ले लिया गया।

दो प्रतिनिधि सुरिंदर कुमार खन्ना बनाम। इंटेलीजेंस ऑफ़िसर डायरेक्टोरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलीजेंस [उदय उमेश ललित, जे.]

नियमों के अनुसार प्रत्येक पैकेट से 5 ग्राम के नमूने लिए गए। डीआरआई के अधिकारियों ने इंडिका कार को भी जब्त कर लिया।

दोनों संदिग्धों के बयान दर्ज किए गए। हुनकासँ

बाहर निकलें। अपीलार्थी के गिरफ्तार किए जाने के बाद, उसके खिलाफ एक पूरक शिकायत प्रस्तुत की गई और मामले को मुख्य शिकायत के साथ उठाया गया। दलीलें सुनने के बाद उक्त राज कुमार उर्फ राजू और सुरिंदर पाल सिंह और अपीलार्थी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 21,29 और 60 के तहत आरोप तय किए गए। एक्ट करें।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में चार गवाहों से पूछताछ की।

दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 29 के साथ धारा 21 (सी) के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे कठोर दंड की सजा सुनाई गई थी।

12 वर्ष के लिए कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना, जिसकी चूक में तीन वर्ष के लिए और कठोर कारावास से गुजरना होगा। राज कुमार उर्फ राजू और सुरिंदर पाल सिंह नामक दो अन्य अभियुक्तों के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के लिए इसी तरह के आदेश दर्ज किए गए थे। तीनों दोषी अभियुक्तों ने अपीलों को प्राथमिकता दी; अर्थात् आपराधिक अपील सं. 955 - डी. बी.-2013 राज कुमार उर्फ राजू और सुरिंदर पाल सिंह द्वारा दायर किया गया था, जबकि आपराधिक अपील संख्या-डी. डी.-798-डी. बी.-2014 को अदालत ने प्राथमिकता दी थी।

अपीलार्थी। इन दोनों अपीलों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ की गई थी।

5. जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि उसका नाम विशेष रूप से सह-अभियुक्त राज कुमार उर्फ राजू द्वारा लिया गया था और

सुरिंदर पाल सिंह अपने बयानों में। इस तरह के बयानों के अलावा रिकॉर्ड पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया था जो शामिल होने का संकेत देता है अपीलार्थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी के खिलाफ मामला बनाया गया था। यह देखा गयाः

" आरोपी सुरिंदर कुमार खन्ना के खिलाफ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 29 के तहत उकसाने का अपराध स्थापित किया गया, जिससे पता चलता है कि वह मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। वह विशेष रूप से [2018] 9 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त राज कुमार उर्फ राजू और सुरिंदर पाल सिंह ने अपने बयानों में इसका उल्लेख किया है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज अभियुक्त राज कुमार उर्फ राजू और सुरिंदर पाल सिंह के ऐसे बयान साक्ष्य में स्वीकार्य हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि डी. आर. आई. के अधिकारी, जिन्होंने गिरफ्तार किए गए राज कुमार उर्फ राजू और सुरिंदर पाल सिंह, इंडिका कार में यात्रा कर रहे थे और उनसे वसूली करना पुलिस अधिकारियों की परिभाषा के भीतर नहीं आता है। .

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की, लेकिन सजा को घटाकर 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने में बदल दिया, जिसमें चूक करने पर डेढ़ साल के लिए और कठोर कारावास से गुजरना होगा। राज कुमार उर्फ राजू और सुरिंदर पाल सिंह जैसे अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में भी इसी तरह की सजा के आदेश पारित किए गए थे।

6. अपीलार्थी के विरुद्ध दी गई दोषसिद्धि और सजा की शुद्धता को चुनौती देने वाली इस अपील में श्री.

जयंत भूषण, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि सह-अभियुक्त राज कुमार उर्फ राजू और सुरिंदर पाल सिंह के तथाकथित बयानों के अलावा अपीलार्थी के खिलाफ कुछ भी नहीं था और न तो उसे घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था और न ही उसके साथ किसी भी तरह से प्रतिबंधित सामग्री जुड़ी हुई थी। प्रत्यर्थी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह ने हालांकि अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कॉल डेटा रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा जिसमें दिखाया गया था कि जब सह-आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, तब अपीलकर्ता दुबई के चौधरी नाम के व्यक्ति के संपर्क में था। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया

सह-अभियुक्त के बयानों के अलावा अपीलार्थी को उक्त दोषी अभियुक्त के साथ जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। कॉल डेटा रिपोर्ट में यह भी संकेत नहीं दिया गया था कि लगभग उस समय जब सह-अभियुक्त पकड़े गए थे, अपीलार्थी उनमें से किसी के भी संपर्क में था। 7. वर्तमान उद्देश्यों के लिए, हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि सह-अभियुक्तों के बयान एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत और उसके संदर्भ में दर्ज किए गए थे। जहां तक ऐसे बयानों का संबंध है, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने पहले के निर्णयों का उल्लेख करने और उन पर भरोसा करने के बाद कन्हैयालाल बनाम. भारत संघ 1, निम्नानुसारः

" 45. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों और राज कुमार करवाल मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर विचार करते हुए

1 (2008) 4 एस. सी. सी. 668 सुरिंदर कुमार खन्ना बनाम। बौद्धिक अधिकारी

एक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस [उदय उमेशललित, जे.]

मामला 2, जिसके साथ हम सहमत हैं कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्तियों के साथ निहित एक अधिकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में "पुलिस अधिकारी" नहीं है, यह स्पष्ट है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दिया गया बयान दिए गए बयान के समान नहीं है। संहिता की धारा 161 के तहत, जब तक कि खतरे में न डाला जाए या

जबरदस्ती। यह महत्वपूर्ण अंतर है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दिए गए बयान को स्वीकारोक्ति के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है।

इसे बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ और इसे संचालन से बाहर करता है

साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 27 "।

8. बाद में, तमिलनाडु 3 के तोफान सिंह मामले में इस अदालत के दो न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ का विचार था कि इस मामले की आवश्यकता हैसाइडरेशन और इसलिए, निर्देश दिया कि मामले को गेर बेंच के सामने रखा जाए। यह तोफान सिंह (ऊपर) में निम्नानुसार देखा गया थाः

" 40. हमारे विचार में उपरोक्त चर्चा से कन्हैयालाल मामले के अनुपात पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। यह तब अधिक होता है जब यह न्यायालय

निर्मल सिंह में कन्हैयालाल के निर्देश पर पहले से ही संदेह है पहलवान 1 जिसमें कन्हैयालाल के साथ-साथ दोनों को देखने के बाद

नूर आगा 3, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः (निर्मल सिंह पहलवान

मामला, एस. सी. सी. पी. 302 , पैरा 15)

" 15. हम यह भी देखते हैं कि कन्हैयालाल मामले में खंड पीठ ने सिद्धांतों और अंतर्निहित अवधारणाओं की जांच नहीं की थी

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 बनाम सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 और सीमा शुल्क अधिकारी की शक्तियां जो

किसी मादक पदार्थ के मामले में किसी अभियुक्त की जाँच कर सकता है और उस पर मुकदमा चला सकता है। उक्त मामला विशेष रूप से राज कुमार मामले के फैसले पर निर्भर था। समय के साथ नवीनतम निर्णय नूर आगा मामला है जिसने इस मामले को बहुत विस्तार से निपटाया है। इस प्रकार हम महसूस करते हैं कि हमारे लिए नूर आगा मामले में निर्णय के अनुपात का पालन करना उचित होगा, विशेष रूप से के प्रावधानों के रूप में

अधिनियम की धारा 50 जो अनिवार्य है, भी लागू नहीं की गई है।

मान लिया "।

41. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि मामले को इस मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है कि क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत मामले की जांच करने वाला अधिकारी पुलिस अधिकारी के रूप में योग्य होगा या नहीं।

1) 12 एससीसी 298

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. इस संदर्भ में, अन्य संबंधित मुद्दा अर्थात् क्या जांच अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया बयान।

इसे इकबालिया बयान के रूप में माना जा सकता है या नहीं, भले ही अधिकारी को पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं माना जाता है, उसे भी बड़ी पीठ के पास भेजे जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह पहली के एक पहलू के साथ मिश्रित होता है।

इस बारे में मुद्दा कि क्या इस तरह के बयान को संहिता की धारा 161 के तहत बयान के रूप में माना जाना है या यह इसके चरित्र को शामिल करता है

संहिता की धारा 164 के तहत बयान।

9. इस प्रकार यह मुद्दा कि क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान को इकबालिया बयान के रूप में माना जा सकता है, भले ही जिस अधिकारी ने इस तरह का बयान दर्ज किया था, उसे पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं माना जाना था, अब उसे एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया है।

10. भले ही हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत ऐसा बयान स्वीकारोक्ति के बराबर हो सकता है।

सह-अभियुक्त के खिलाफ इकबालिया बयान पर भरोसा किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम, 19876 की धारा 15 के विपरीत, जो विशेष रूप से सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति करती है। कुछ घटनाओं में अन्य अभियुक्तों के खिलाफ स्वीकार्य; एन. डी. पी. एस. अधिनियम में इस तरह की स्वीकारोक्ति करने का ऐसा कोई समान या समान प्रावधान नहीं है।

सह-अभियुक्त के विरुद्ध स्वीकार्य। इसलिए इस मामले को सामान्य अनुप्रयोग के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में देखा जाना चाहिए।

अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति।

11. कश्मीरा सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य ', इस न्यायालय ने भुबोनी साहू बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर भरोसा किया। राजा और निम्नानुसार निर्धारित किया गयाः

" गुरुबचन के कबूलनामे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

अपीलार्थी को फंसाते हुए, और तुरंत सवाल उठता है कि एक सह-अभियुक्त के खिलाफ एक अभियुक्त व्यक्ति के इकबालिया बयान का कितना और किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? यह स्पष्ट है कि यह शब्द के सामान्य अर्थ में प्रमाण नहीं है क्योंकि, जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने भुबोनी साहू v में कहा है। राजा "यह वास्तव में साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में निहित" साक्ष्य "की परिभाषा के भीतर नहीं आता है। , यह शपथ पर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, न ही इसकी उपस्थिति में

6 इसी तरहः महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 18 7 (1952) एस. सी. आर. 526

8 (1949) 76 भारतीय अपील 147 155 सुरिंडर कुमार खन्ना बनाम।

बौद्धिक अधिकारी

एक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस [उदय उमेशललित, जे.]

अभियुक्त, और इसका प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है। ” उनके प्रभुत्त्व भी बताते हैं कि यह "स्पष्ट रूप से एक बहुत ही कमजोर प्रकार का प्रमाण है। यह एक अनुमोदक के साक्ष्य की तुलना में बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, जो उनमें से किसी के अधीन नहीं है। दुर्बलताएँ "।

उन्होंने इसके अलावा कहा कि इस तरह के कबूलनामे को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है और इसका उपयोग केवल "अन्य सबूतों के समर्थन" में किया जा सकता है। इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उसी आधार को शामिल करना व्यर्थ होगा, लेकिन हमें लगता है कि इसे और विस्तार से बताना आवश्यक है क्योंकि गलतफहमी अभी भी मौजूद है। सवाल यह है कि इसका उपयोग अन्य सबूतों के समर्थन में किस तरह किया जा सकता है? क्या इसका उपयोग किया जा सकता है खोए हुए अंतराल को भरें? क्या इसका उपयोग किसी साथी की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है या, जैसा कि वर्तमान मामले में, एक गवाह जिसे, हालांकि एक सहयोगी नहीं है, विश्वसनीयता के संबंध में उसी श्रेणी में रखा गया है क्योंकि न्यायाधीश उस पर विश्वास करने से इनकार करता है सिवाय इसके कि वह है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के कबूलनामे का उपयोग केवल "सह-अभियुक्त के खिलाफ अन्य सबूतों को आश्वासन देने" या इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि जे. रेली ने इन रे पेरियास्वामी मूपन 1 0 10 में किया था।

" प्रावधान इससे आगे नहीं जाता है जहां सह-अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, यदि माना जाता है, तो उसकी दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए, तो किस तरह का स्वीकारोक्ति लिखा गया है। धारा 30 में एक अतिरिक्त के रूप में पैमाने में डाला जा सकता है

उस सबूत पर विश्वास करने का कारण "।

इन टिप्पणियों को ठोस शब्दों में अनुवाद करते हुए वे आते हैं

इसके लिए। इस तरह के मामले से संपर्क करने का उचित तरीका है, सबसे पहले,

अभियुक्त के खिलाफ मार्शल सबूत को छोड़कर

स्वीकारोक्ति पूरी तरह से विचार से और देखें कि क्या, यदि यह माना जाता है, तो एक दोषसिद्धि सुरक्षित रूप से उस पर आधारित हो सकती है। यदि यह स्वीकारोक्ति से स्वतंत्र रूप से विश्वास करने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से स्वीकारोक्ति को सहायता में बुलाना आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां न्यायाधीश अन्य साक्ष्य पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है जैसा कि यह है, भले ही, यदि माना जाए, तो यह एक साक्ष्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा।

1] आई. एल. आर. 38 सी. ए. एल. 559 588 पर

31] आई. एल. आर. 54 पागल। 75 77 पर।

दृढ़ विश्वास। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश सहायता के लिए कॉल कर सकता है -

स्वीकारोक्ति और इसका उपयोग अन्य साक्ष्य को आश्वासन देने के लिए करें और इस प्रकार बिना किसी सहायता के विश्वास करने में खुद को मजबूत करें।

स्वीकारोक्ति वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। '

12. कश्मीरा सिंह (ऊपर) में निर्धारित कानून को मंजूरी दी गई।

हरि चरण कुर्मी और जोगिया बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ। बिहार राज्य 1 1 जिसमें यह मनाया गया थाः

स्वीकारोक्ति का उपयोग केवल "सह-अभियुक्त के खिलाफ अन्य साक्ष्य को आश्वासन देने" के लिए किया जा सकता है। पेरियास्वामी मूपन रेली। जे. ने कहा कि धारा 30 का प्रावधान इससे आगे नहीं जाता हैः जहाँ सह-अभियुक्त के खिलाफ उसके दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, यदि माना जाता है, तो धारा 30 में वर्णित स्वीकारोक्ति को पैमाने में डाला जा सकता है - उस सबूत पर विश्वास करने का अतिरिक्त कारण "। भुबोनी साहू बनाम। राजा प्रिवी काउंसिल ने भी यही विचार व्यक्त किया है। बोर्ड की ओर से बोलने वाले सर जॉन ब्यूमोंट ने कहा कि "एक सह-अभियुक्त का स्वीकारोक्ति स्पष्ट रूप से एक बहुत ही कमजोर प्रकार का प्रमाण है। यह वास्तव में साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में निहित "साक्ष्य" की परिभाषा के भीतर नहीं आता है। यह शपथ पर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, न ही अभियुक्त की उपस्थिति में, और इसका परीक्षण प्रतिपरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह एक अनुमोदक के साक्ष्य की तुलना में बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, जो उन दुर्बलताओं में से किसी के अधीन नहीं है। हालांकि, धारा 30 में प्रावधान है कि अदालत ले सकती है

4) 6 एस. सी. आर. 623 पर 631-633 सुरिंदर कुमार खन्ना बनाम। इंटेलीजेंस ऑफ़िसर डायरेक्टोरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलीजेंस [उदय उमेश ललित, जे.]

विचार में स्वीकारोक्ति और इस प्रकार, कोई संदेह नहीं, यह सबूत बनाता है जिस पर अदालत कार्रवाई कर सकती है; लेकिन धारा यह नहीं कहती है कि स्वीकारोक्ति सबूत के बराबर है। स्पष्ट रूप से अन्य सबूत होने चाहिए। स्वीकारोक्ति में केवल एक तत्व है

सभी तथ्यों पर विचार करना मामले को साबित करता है; इसे रखा जा सकता है पैमाने और अन्य सबूत के साथ तौला गया "। यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 30 में निहित प्रावधानों के परिणामस्वरूप,

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि स्वीकारोक्ति को सामान्य तरीके से साक्ष्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि अदालत द्वारा जो कुछ भी विचार किया जाता है वह है

साक्ष्य; अदालत द्वारा जिन परिस्थितियों के साथ-साथ संभावनाओं पर विचार किया जाता है, वे उस सामान्य अर्थ में साक्ष्य के बराबर हैं। इस प्रकार, यद्यपि धारा 30 के प्रावधानों के कारण स्वीकारोक्ति को उस सामान्य अर्थ में साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, तथ्य यह है कि यह है कि यह अधिनियम की धारा 3 द्वारा परिभाषित साक्ष्य नहीं है। इसलिए, परिणाम यह है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ मामले से निपटने में, अदालत किसी सह-अभियुक्त व्यक्ति के इकबालिया बयान से शुरुआत नहीं कर सकती है; इसकी शुरुआत अन्य सबूतों से होनी चाहिए जो निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं -

अभियोजन पक्ष और कथित साक्ष्य की गुणवत्ता और प्रभाव के संबंध में अपनी राय बनाने के बाद, उसे आश्वासन प्राप्त करने के लिए स्वीकारोक्ति की ओर रुख करने की अनुमति है।

अपराध का निष्कर्ष जो न्यायिक मन उक्त अन्य साक्ष्य पर पहुंचने वाला है। यह, संक्षेप में कहा गया है, धारा 30 में निहित प्रावधानों का प्रभाव है। यही विचार इस न्यायालय द्वारा कश्मीरा सिंह बनाम में व्यक्त किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य जहाँ भुबोनी साहू मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है।

13. इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्धारित कानून का हमेशा पालन किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहां कानून में ऐसा करने का एक विशिष्ट प्रावधान है। एक अन्य accused.12 के खिलाफ स्वीकार्य सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान

14. वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि सह-अभियुक्त के उपरोक्त बयानों के अलावा इसमें शामिल होने का सुझाव देने वाली कोई सामग्री नहीं है।

विचाराधीन अपराध में अपीलार्थी। इस प्रकार हमारे पास सामग्री का केवल एक टुकड़ा बचा है जो कि सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की कसौटी पर सह-अभियुक्त के ऐसे इकबालिया बयान को स्वयं किसी अन्य सह-अभियुक्त के खिलाफ सबूत के एक ठोस टुकड़े के रूप में नहीं लिया जा सकता है और इसका उपयोग या उपयोग न्यायालय को आश्वासन देने के लिए किया जा सकता है। में

1 2 उदाहरण के लिएः राज्य बनाम नलिनी, (1999) 5 एस. सी. सी. 253, पैरा 424 और 704,348

किसी भी ठोस साक्ष्य की अनुपस्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि को विशुद्ध रूप से सह-अभियुक्त के बयानों पर आधारित करना अनुचित होगा। इसलिए अपीलार्थी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी होने का हकदार है। इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, दोषसिद्धि और सजा के आदेशों को दरकिनार करते हैं और अपीलार्थी को बरी करते हैं। अपीलार्थी को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि किसी भी मामले में उसकी अभिरक्षा की आवश्यकता न हो।

बी.

अन्य अपराध।

दिव्या पांडे